शशिकला पुष्पा एवं अन्य

बनाम्

तमिलनाड सरकार

(आपराधिक अपील संख्या– 855/2009)

07 मई, 2019

(आर 0 भानुमति एवं एस 0 अब्दुल नजीर, न्यायाधीशगण)

भानुमति, न्यायाधीश 1 अनुमति स्वीकृत

2. ये अपीलें [विशेष अनुमति याचिका(सी0 आर 0 एल) संख्या 7252, 7287 और 8206 of 2016] मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ द्वारा सी0 आर 0 एल में अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने के दिनांक 14.09.2016 के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2016 का ओपी (एमडी) संख्या 15370। उसी निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपीलकर्ताओं के विरूद्व वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने में उनके द्वारा की गई कथित कपट के संबंध में क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने 19.09.2016 को के. पुदुर पुलिस थाना, मदुरई में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अपराध संख्या 1331/2016 में दंडनीय धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई । अपीलकर्ताओं के विरूद्व 193, 466, 468 और 471 भा0 द 0 वी0 दर्ज किया गया था।

3. प्रथम अपीलकर्ता राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य और एआईएडीएमके राजनीतिक दल के निष्कासित सदस्य थे। तीसरा अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता का पति है। वर्ष 2011 में अपीलकर्ताओं के घर में नौकरानी के रूप में काम करने वाली भानुमती ने एक शिकायत दर्ज की थी कि जब वह अपीलकर्ताओं के घर में काम कर रही थी तो उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। उक्त शिकायत के आधार पर, सभी अपीलकर्ताओं के विरूद्व सभी महिला पुलिस थाना में अपराध संख्या 5/2016 में धारा 294 (ख), 323, 344, 354 (क) और 506 (आई) भा0 द 0 वी0 और के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4। पहली अपीलकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि यह उसके विरूद्व राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था।

4. अपीलकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ के समक्ष उक्त अपराध के विरूद्व सीआरएल.ओपी (एमडी) संख्या 15370 /2016 में द 0 प्र 0 सं0 की धारा 438 के तहत अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 के हस्ताक्षर वाले वकालतनामे के साथ जमानत याचिका दायर की। दिनांक 18.08.2016.

प्रथम अपीलकर्ता 17.08.2016 को नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। सीआरएल.ओपी (एमडी) संख्या 15370 /2016 में जमानत याचिका दायर करते समय, अपीलकर्ताओं ने वकालतनामा दायर किया जिसमें यह कहा गया था कि उक्त वकालतनामा पर अपीलकर्ताओं ने 17.08.2016 को मदुरई में अधिवक्ता श्री विजयकुमार के समक्ष हस्ताक्षर किए थे। जमानत याचिका और वकालतनामा की स्थिरता को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी–राज्य ने प्रारंभिक आपत्तियां दायर की और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता संख्या 1 दिनांक 17.08.2016 को 23.15 बजे नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। इसी तरह, अपीलकर्ता संख्या 3 दिनांक 18.08.2016 को सुबह 09.30 बजे बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने दिनांक 18.08.2016 को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जैसे कि वे दिनांक 17.08.2016 को मदुरई में मौजूद थे और मदुरई में एक अधिवक्ता की उपस्थिति में शपथ पत्र और वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे। उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.08.2016 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को दिनांक 29.08.2016 को अदालत के समक्ष उपस्थित होने और उक्त प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। तदनुसार, अपीलकर्ता उक्त तिथि पर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और उच्च न्यायालय के समक्ष अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि वकालतनामे में उल्लिखित तिथि एक अनजाने में हुई गलती थी।

5. आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हैं और यह वकालतनामा में निहित लिखित संस्करण के विरोधाभासी हैं। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर शपथपत्र का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने बताया कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने स्पष्टीकरण दिया है कि वह वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कभी भी मदुरई नहीं आई थी और उसने मदुरई में अधिवक्ता श्री विजयकुमार की उपस्थिति में कभी भी वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसलिए माना कि प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ कुटरचित है और उस पर मदुरई के बाहर हस्ताक्षर और निष्पादन किया गया है और इस अदालत के समक्ष पेश किया गया है, जैसे कि उस पर मदुरई में हस्ताक्षर और निष्पादन किया गया है और उसका उपयोग किया गया है। और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। उपरोक्त निष्कर्षों पर, उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपीलकर्ताओं के विरूद्ध क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने दिनांक 19.09.2016 को के. पुदुर पुलिस थाना, मदुरई में शिकायत दर्ज कराई। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, धारा 193, 466, 468

और 471 भा0 द 0 वी0. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 19.09.2016 को के. पुदुर पुलिस थाना, मदुरई में अपराध संख्या 1331/2016 में एफआईआर दर्ज की गई थी।

6. व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं । दिनांक 26.09.2016 के आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपराध संख्या 1331/2016 और अपराध संख्या 5/2016 में अपीलकर्ताओं के विरूद्व कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और अपीलकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेगड़े ने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करके गलती की है कि वकालतनामे में अपीलकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं और उस पर तारीख पूरी तरह से लिपिकीय त्रुटि है। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस आशय का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि अपीलकर्ताओं के विरूद्व शिकायत दर्ज करना 'न्याय के हित में समीचीन' है और उच्च न्यायालय ने शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दर्ज करने के निर्देश जारी करने में गलती की है। अपीलकर्ताओं के विरूद्व आपराधिक मामला. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर वकालतनामे को अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का मुख्य कारण मानकर विधिक त्रूटी की।

8. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कन्ना ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि पहले अपीलकर्ता ने दिनांक 18.08.2016 को मदुरई में वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसलिए, अपीलकर्ताओं ने अदालत में धोखाधड़ी की है और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के विरूद्व शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पहली अपीलकर्ता तत्कालीन संसद सदस्य हैं और उनके पति, तीसरी अपीलकर्ता एक व्यवसायी और प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पहले अपीलकर्ता ने जांच अधिकारी द्वारा उठाए गए सवालों का अस्प्ष्ट जवाब दिया है। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को रद्द करने और उच्च न्यायालय के निर्देशों पर दर्ज एफआईआर संख्या 1331/2016 को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने सचिदा नंद सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1998) 2 एससीसी 493 पर भरोसा जताया ।

9. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया है। विचारणीय बिंदु यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

अदालत ने अपीलकर्ताओं के विरूद्ध कपट और कुटरचित दस्तावेज़ बनाने के लिए संबंधित पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करने के निर्देश जारी करने में सही किया था।

10. यह काफी हद तक तय है कि शिकायत दर्ज करने से पहले, यह आवश्यक है कि अदालत संतुष्ट हो कि न्याय के हित में शिकायत दर्ज करना उचित था। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय द0प्र0सं0 की धारा 340 के वास्तविक शब्दों का ही प्रयोग करे; लेकिन अदालत को अपनी संतुष्टि दर्शाते हुए एक निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि जांच की जानी चाहिए। इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह (2005) 4 एससीसी 370 मामले में यह देखते हुए कि द0प्र0सं0 की धारा 340 के तहत, अभियोजन तभी शुरू किया जाना चाहिए जब यह न्याय के हित में समीचीन हो, न कि केवल आरोपों पर या व्यक्तिगत प्रतिशोध को साबित करने के लिए। , इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: –

“23. द0प्र0सं0 की धारा 340 में इस्तेमाल की गई भाषा को देखते हुए अदालत धारा 195(1)(बी) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में शिकायत करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यह धारा इन शब्दों से वातानुकूलित है "अदालत की राय है कि यह न्याय के हित में समीचीन है"। इससे पता चलता है कि ऐसा रास्ता तभी अपनाया जाएगा जब न्याय के हित में इसकी आवश्यकता होगी और हर मामले में नहीं। शिकायत दर्ज करने से पहले, अदालत प्रारंभिक जांच कर सकती है और इस आशय का निष्कर्ष दर्ज कर सकती है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195(1)(बी) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध की जांच की जानी चाहिए। इस समीचीनता का निर्णय आम तौर पर अदालत द्वारा ऐसे कपट या कुटरचित दस्तावेज़ से प्रभावित व्यक्ति को हुई चोट की मात्रा को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा, बल्कि इस तरह के अपराध के होने से न्याय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यह संभव है कि इस तरह के कुटरचित दस्तावेज़ या कपट से किसी व्यक्ति को बहुत गंभीर या पर्याप्त चोट लग सकती है, इस अर्थ में कि यह उसे बहुत मूल्यवान संपत्ति या स्थिति या इसी तरह से वंचित कर सकता है, लेकिन ऐसा दस्तावेज़ केवल साक्ष्य का एक टुकड़ा हो सकता है या अदालत में साक्ष्य के रूप में दिया गया हो, जहां बड़े पैमाने पर साक्ष्य पेश किए गए हों और न्याय प्रशासन की व्यापक अवधारणा पर ऐसे साक्ष्य का प्रभाव न्यूनतम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत न्याय के हित में शिकायत करना उचित नहीं समझ सकती। .....”

11. द0प्र0सं0 की धारा 195(1)(बी) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में शिकायत करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि "यह न्याय के हित में समीचीन है"। द0प्र0सं0 की धारा 340 की भाषा से पता चलता है कि ऐसा रास्ता केवल तभी अपनाया जाएगा जब न्याय के हित में इसकी आवश्यकता होगी और हर मामले में नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह देखा

जाना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला कपट या कुटरचित दस्तावेज़ बनाने के लिए बनता है, जिसमें भा0 द 0 वी0 की धारा 193, 467, 468 और 471 के तहत शिकायत दर्ज करने के निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया गया है।

12. कथित उत्पीड़न के लिए भानुमति की शिकायत के आधार पर, अपराध संख्या 5/2016 में धारा 294 (ख), 323, 344, 354–क और 506 (आई) भा0 द 0 वी0 और तमिलनाडु की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। अपीलकर्ताओं के विरूद्व महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता संख्या 1 ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1627/2016 दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.08.2016 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और अपीलकर्ताओं को तमिलनाडु राज्य या मद्रास उच्च न्यायालय में सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दिनांक 22.08.2016 तक एफआईआर संख्या 5/2016 में अपीलकर्ताओं के विरूद्व कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वे जांच अधिकारी के निर्देशानुसार जांच में शामिल हों।

13. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 18.08.2016 को जमानत आवेदन संख्या 15370/2016 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। उक्त आवेदन में, राज्य द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि "अपीलकर्ताओं ने मदुरई के एक अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित दिनांक 17.08.2016 को हस्ताक्षरित वकालतनामा दाखिल करके अदालत में धोखाधड़ी की है जैसे कि अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 मौजूद थे " दिनांक 17.08.2016 को मदुरई में जबकि अपीलकर्ता संख्या 1 दिनांक 17.08.2016 को नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। तीसरा अपीलकर्ता दिनांक 18.08.2016 को बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने झूठा वकालतनामा दाखिल किया है, प्रतिवादी–राज्य ने याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई। इसी बीच दिनांक 22.08.2016 को जांच अधिकारी ने अपराध क्रमांक 5/2016 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9(आई) (एन) सहपठित धारा 10, धारा 16 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में शामिल कर लिया ।

14. उच्च न्यायालय ने अपराध संख्या 5/2016 में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि पहला अपीलकर्ता अधिवक्ता विजयकुमार की उपस्थिति में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए कभी भी मदुरई नहीं आया और इसलिए, प्रथम दृष्टया

ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ कुटरचित है और उस पर मदुरई के बाहर हस्ताक्षर और निष्पादन किया गया है जैसे कि यह किया गया हो। मदुरई में हस्ताक्षरित और निष्पादित किया गया और अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया गया। सचिदा नंद सिंह पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया कृत्य अदालत के साथ की गई धोखाधड़ी के बराबर है और इस प्रकार, रजिस्ट्रार (न्यायिक) को उन सभी अपीलकर्ताओं के विरूद्व शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन्होंने सीआरएल.ओपी में वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे। (एमडी) क्रमांक 15370/2016।

15. वर्तमान अपीलों में, हम मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से चिंतित हैं कि सी0 आर 0 एल ओ.पी.(एम. डी.) No.15370 /2016 में वकालतनामा दाखिल करके, अपीलकर्ताओं ने अदालत और निर्देश जारी करने में धोखाधड़ी की है कपट के लिए अपीलकर्ताओं के विरूद्व शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रार (न्यायिक) को। जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 18.08.2016 को सी0 आर 0 एल ओ.पी.(एम. डी.) No.15370/2016 दायर किया है जिसमें उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया है जिसमें निम्नानुसार कहा गया था: –

"मेरे समक्ष आज दिनांक 17 अगस्त, 2016 को निष्पादित किया गया। मुझसे पहले, एस. विजयकुमार, संख्या 51 लॉ चैंबर्स, उच्च न्यायालय मदुरई।"

वकालतनामे में उपरोक्त संस्करण ऐसा लगता है जैसे अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 ने दिनांक 17.08.2016 को मदुरई में वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए हैं; लेकिन वास्तव में पहला अपीलकर्ता मदुरई नहीं गया और दिनांक 17.08.2016 को रात 11.15 बजे नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। गौरतलब है कि दिनांक 29.08.2016 को अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर शपथपत्र में, प्रथम अपीलकर्ता ने दलील दी है कि लिपिकीय त्रुटि हुई है। अपीलकर्ता संख्या 1 ने कहा है कि दिनांक 16.08.2016 को, उसने और उसके बेटे–अपीलकर्ता संख्या 2 ने नई दिल्ली में वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे और उसी पर अपीलकर्ता संख्या 3 के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए थे जो बेंगलुरु में था। ऐसा कहा गया है कि वकालतनामा प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता संख्या 3 उसी दिन शाम को सड़क मार्ग से मदुरई पहुंचा और उसे अधिवक्ता को सौंप दिया और उसी दिन सड़क मार्ग से बेंगलुरु वापस लौट आया और उसके बाद, अपीलकर्ता संख्या 3 सिंगापुर के लिए रवाना हो गया । दिनांक 18.08.2016 को प्रातः 09.30 बजे. अपीलकर्ताओं के अनुसार, जब वकालतनामा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ में दायर किया गया था, तो गलती से यह दर्ज कर दिया गया था कि इस पर दिनांक 18.08.2016 को मदुरई में हस्ताक्षर किए गए हैं।

अपीलकर्ताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण प्रशंसनीय प्रतीत होता है और हमें उस पर और उनके दिनांक 29.08.2016 के शपथपत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

16. वकालतनामा केवल एक दस्तावेज है जो एक अधिवक्ता को पार्टी की ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत करता है और कुल मिलाकर इसका मामले के गुण–दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क में बल मिलता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई पक्ष जानबूझकर वकालतनामे में गलत तारीख और स्थान क्यों प्रस्तुत करेगा। अपीलकर्ता संख्या 1 दिनांक 17.08.2016 की रात को नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ और अपीलकर्ता संख्या 3 दिनांक 18.08.2016 की सुबह 09.30 बजे बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर शपथपत्र में, पहली अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने और उसके बेटे अपीलकर्ता संख्या 2 ने दिनांक 16.08.2016 को वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए और इसे उसके पति–अपीलकर्ता संख्या 3 को भेज दिया गया, जो बेंगलुरु में था। इसे मदुरई में अधिवक्ता को सौंप दिया। अपीलकर्ताओं ने वकालतनामे में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। हमारे विचार से, अपीलकर्ताओं के शपथपत्र में बताए गए घटनाओं के क्रम से कपट का मामला नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने इस बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि उसने शपथपत्र में की गई अपीलकर्ताओं की याचिका को क्यों खारिज कर दिया, जिसे उन्होंने अदालत के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में भी दोहराया था जब वे व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश हुए थे।

17. तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कन्ना ने सचिदा नंद सिंह पर भरोसा जताया और प्रस्तुत किया कि भले ही दस्तावेज़ की कपट से जुड़ा कोई भी अपराध अदालत के परिसर के बाहर और अदालत में पेश होने से बहुत पहले किया गया हो। , इसे न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाला भी माना जाएगा। सचिदा नंद सिंह मामले में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इसे इस प्रकार रखा गया: –

"11। संहिता की धारा 340(1) में परिकल्पित प्रारंभिक जांच का दायरा यह सुनिश्चित करना है कि क्या न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाला कोई अपराध अदालत में पेश किए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया है या उस अदालत में कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, अपराध उस समय के दौरान किया जाना चाहिए था जब दस्तावेज़ हिरासत में था।

12. यह एक तनावपूर्ण सोच होगी कि किसी दस्तावेज़ के कपट से जुड़ा कोई भी अपराध यदि अदालत के परिसर के बाहर और अदालत में पेश होने से बहुत पहले किया जाता है, तो उसे न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाला भी माना जा सकता है क्योंकि वह दस्तावेज़ बाद में पहुंच गया था। अदालत के रिकॉर्ड।"

18. इस प्रस्ताव के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि भले ही कपट अदालत के परिसर के बाहर और अदालत में पेश होने से बहुत पहले की गई हो, इसे भी न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाला माना जाएगा । लेकिन वर्तमान मामले में, अपराध संख्या 5/2016 में अग्रिम जमानत के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा सी0 आर 0 एलओ.पी.(एम. डी.) संख्या 15370/2016 में दायर वकालतनामा को कुटरचित दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलकर्ताओं ने वकालतनामे में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उनका केवल यह आरोप है कि गलती से यह दर्ज कर लिया गया कि दिनांक 18.08.2016 को मदुरई में अधिवक्ता की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किये गये हैं। निःसंदेह, वकालतनामा का संस्करण एक गलत कथन है। हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त गलती या त्रुटि को धोखाधड़ी करार देना उचित नहीं था। धोखाधड़ी का तात्पर्य जानबूझकर किया गया धोखा है जिसका उद्देश्य कुछ गलत लाभ प्राप्त करना या किसी अन्य को गलत तरीके से हानि या चोट पहुंचाना है। मनुष्य की मंशा होना यह मानने के लिए आवश्यक घटक है कि अदालत के साथ धोखाधड़ी की गई है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वकालतनामे में हस्ताक्षर की जांच करने पर, हस्तलेखन विशेषज्ञ ने राय दी है कि यह अपीलकर्ताओं के हस्ताक्षर नहीं हैं और इसलिए, कुटरचित दस्तावेज़ बनाने के लिए अपीलकर्ताओं का इरादा स्पष्ट रूप से है बाहर कर दिया। हमें प्रस्तुतीकरण में कोई योग्यता नहीं दिखती क्योंकि अपीलकर्ताओं ने स्वयं वकालतनामे में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। वकालतनामे में अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने वाले अपीलकर्ताओं के बयान के आलोक में, हमें नहीं लगता कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय किसी उच्च स्तर पर होगी। यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने धोखाधड़ी करके या धोखाधड़ी करके कुछ हासिल किया। आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना उचित नहीं था।

19. यह मानते हुए भी कि वकालतनामे का संस्करण गलत है, केवल वकालतनामे में गलत बयान देना कुटरचित दस्तावेज़ बनाने के समान नहीं होगा और यह द 0 प्र 0 सं0 की धारा 340 के तहत दायर करने के निर्देश जारी करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कारण नहीं हो सकता है। अपीलकर्ताओं के विरूद्व आपराधिक शिकायत.

20. अमरसंग नाथाजी बनाम हार्दिक हर्षदभाई पटेल (2017) 1 एससीसी 117 में, इस न्यायालय ने माना कि धारा 340 द0प्र0सं0 के तहत आगे बढ़ने से पहले, अदालत को किसी महत्वपूर्ण मामले पर जानबूझकर झूठ के बारे में संतुष्ट होना होगा और एक मामला होना चाहिए। आरोप के लिए उचित आधार. यह देखते हुए कि बयान में कुछ अशुद्धि या केवल झूठा बयान अभियोजन को आमंत्रित नहीं कर सकता है, इसे निम्नानुसार माना गया था: –

"6. केवल यह तथ्य कि किसी व्यक्ति ने न्यायिक कार्यवाही में विरोधाभासी बयान दिया है, हमेशा दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (इसके बाद इसे "भा0द0वी0" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 199 और 200 के तहत अभियोजन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ; लेकिन यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रतिवादी ने जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में गलत बयान दिया है या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में इसका उपयोग करने के उद्देश्य से झूठे सबूत गढ़े हैं। उपरोक्त स्थिति सामने आने के बाद भी, अदालत को अभी भी यह राय बनानी होगी कि झूठे सबूतों के अपराधों और सार्वजनिक न्याय के विरूद्ध अपराधों की जांच शुरू करना न्याय के हित में समीचीन है और विशेष रूप से धारा 340 में संदर्भित है। 1) द0प्र0सं0, समग्र तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ–साथ ऐसे अभियोजन के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए। (देखें केटीएमएस मोहम्मद बनाम भारत संघ (1992) 3 एससीसी 178)। अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि न्याय के हित में और मामले के तथ्यों के लिए ऐसी जांच आवश्यक है।"

चिंतामणि मालवीय बनाम मप्र उच्च न्यायालय (2018) 6 एससीसी 15 में भी इसी दृष्टिकोण को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

21. उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, हमारे विचार में, यह दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं का इरादा क्षति या चोट या कोई अन्य कार्य करना था। चूंकि वकालतनामा में विवादित संस्करण एक अनजाने में हुई गलती प्रतीत होती है, जिसका गलत बयानी करने का कोई इरादा नहीं है, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं के विरूद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जा सकता है। .

22. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपराध संख्या 1331/2016 में, उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और जांच पूरी होने पर आरोप पत्र भी दायर किया गया है। जैसा कि पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एससीसी 749 में कहा गया है , किसी आपराधिक मामले में आरोपी को तलब करना एक गंभीर

बात है; इससे भी अधिक उच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करना होगा । चूंकि अपीलकर्ताओं ने स्वयं वकालतनामे में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और वकालतनामे का वह संस्करण जिस पर उन्होंने दिनांक 18.08.2016 को मदुरई में हस्ताक्षर किए हैं, एक आकस्मिक गलती है, हमारे विचार में, भले ही मुकदमा आगे बढ़ता है, इसकी कोई संभावना नहीं हो सकती है। अपीलकर्ताओं को कपट और कुटरचित दस्तावेज़ बनाने के कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है।

23. केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम रविशंकर श्रीवास्तव, आईएएस और अन्य (2006) 7 एससीसी 188 में , इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था: –

"7. इस प्रकृति के मामले में संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है, नियम नहीं। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो संहिता के लागू होने से पहले न्यायालय के पास थी। इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा सुरक्षित करने के लिए। न्याय। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। ... . शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे पता चलता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करने से अन्यथा न्याय की प्राप्ति होगी। जब शिकायत से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों को देखने की अनुमति है।

24. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामले के गुण–दोष के बारे में और गहराई में जाए बिना, हम अपराध संख्या 1331/2016 में एफआईआर को रद्द करते हैं और संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आरोप पत्र को भी रद्द करते हैं। केवल वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले को रद्द करने का लाभ उठाते हुए, अपीलकर्ता किसी भी परिणामी कार्यवाही का सहारा नहीं लेंगे।

25. अपराध क्रमांक 5/2016:– आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26.09.2016 के आदेश के तहत सभी महिला पुलिस थाना, पुदुक्कोट्टई, तूतीकोरिन जिले में दर्ज अपराध संख्या 5/2016 में अपीलकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की । अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने पीड़ित भानुमती के साथ मामले में समझौता कर लिया है और समझौते के आधार पर, उन्होंने पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रद्दीकरण याचिका दायर कर दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने पक्षों को संपर्क करने का निर्देश दिया है। संबंधित पुलिस थाना. अपराध संख्या 5/2016 में अपीलकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा को उक्त मामले के निपटारे तक बढ़ाने के अलावा, हम उक्त मामले की खूबियों में जाने के इच्छुक नहीं हैं।

26. अपराध संख्या 276/2016: – दिनांक 11.10.2016 को, अपीलकर्ताओं ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक सुगंती के घरेलू सामान और कार को नुकसान पहुंचाया, जो अपराध संख्या 5 में पीड़िता–भानुमति की अधिवक्ता थी । /2016. उक्त सुगंती के एक रिश्तेदार मुथु द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विरूद्व भा0द0वी0 की धारा 147, 148, 448, 506 (II) और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (रोकथाम) की धारा 3 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। क्षति और हानि अधिनियम, 1992) थिसयानविलाई पुलिस थाना, तिरुनेलवेली के अपराध संख्या 276/2016 में। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है और दिनांक 18.11.2016 के आदेश से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं संख्या 2 और 3 को अग्रिम जमानत दे दी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि अपीलकर्ता संख्या 1 से हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए। अपीलकर्ता संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने की आवश्यकता है और इनकार कर दिया। दिनांक 18.11.2016 का आदेश एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9064/2016 और 9065/2016 में चुनौती का विषय है। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष प्रवेश के लिए आया, तो दिनांक 22.11.2016 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 1 को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विरूद्व धारा 147, 148, 448, 506 (ii) भा0द0वी0 और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति की धारा 3 (नुकसान और हानि निवारण अधिनियम, 1992) के तहत अपराध संख्या 276/2016 (थिसयानविलाई, थिरुनेलवेली) में मामला दर्ज किया गया था ।). उच्च न्यायालय ने पहली अपीलकर्ता को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है जबकि अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को अग्रिम जमानत दी गई थी।

27. परिणामस्वरूप, सभी अपीलों का निपटारा निम्नानुसार किया जाता है: – एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7252/2016: – अपीलकर्ताओं के विरूद्व आपराधिक शिकायत दर्ज करने के निर्देश जारी करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपील को खारिज कर दिया जाता है। अनुमति दी है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध संख्या 1331/2016 (के. पुदुर पुलिस थाना) में एफआईआर और उस पर दायर आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया है और तदनुसार अपील की अनुमति दी गई है। जैसा कि पैरा संख्या (23) में बताया गया है, 2016 के अपराध संख्या 1331 में एफआईआर को रद्द करने का लाभ उठाते हुए, 2016 के अपराध संख्या 1331 में एफआईआर को रद्द करने का लाभ उठाते हुए , अपीलकर्ता किसी भी आगे या परिणामी कार्यवाही का सहारा नहीं लेंगे।

28. एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7287/2016 और 8206/2016:– अपराध संख्या 5/2016 (एडब्ल्यूपीएस, पुदुक्कोट्टई, तूतीकोरिन जिला) में अपीलकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा आपराधिक मामले के निपटारे तक बढ़ा दी गई है। अपराध क्रमांक 5/2016 से उत्पन्न्।

29. एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9064/2016 और 9065/2016:– अपराध संख्या 276/2016 (थिसयानविलई पुलिस थाना, थिरुनेलवेली) में दिनांक 22.11.2016 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा तब तक बढ़ा दी गई है। अपराध संख्या 276/2016 से उत्पन्न आपराधिक मामले का निपटान । अपीलकर्ताओं को अपराध संख्या 276/2016 में अग्रिम जमानत दी गई है जो आपराधिक मामले के निपटारे तक प्रभावी रहेगी। जहां तक अपराध संख्या 276/2016 में आपराधिक मामले को रद्द करने की बात है, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं और उच्च न्यायालय अपनी योग्यता के आधार पर इस पर विचार करेगा।

अपिल निस्तारित

अनुवादक

अनिल कु0 मिश्रा–II

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दुमका, झारखण्ड